International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

महिला सशक्तिकरण और नारीवादः अवधारणा, विकास और समकालीन विमर्श।

निधि
शोधार्थी, (इतिहास विषय) सामाजिक विज्ञान विभाग बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय अस्थल बोहर रोहतक (Reg. No = 23-BMU-7225)

Mail id kevinphougat11@gmail.com

डॉ. राजबीर सिंह गुलिया

प्रोफेसर, (इतिहास विषय) सामाजिक विज्ञान विभाग बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय अस्थल बोहर रोहतक

सार
किसी भी देश के सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक विकास में महिलाओं की बहुत भूमिका होती है। समाज में महिलाओं की वहीं भूमिका है जो शरीर में दौड़ने वाले रक्त की। किसी राज्य, देश अथवा समाज को समझने जानने का कार्य तब तक पूरा नहीं किया जा सकता जब तक कि महिलाओं की वस्तु स्थिति पर विचार न कर लिया जाये। महिलाओं की दासता का इतिहास बहुत ही पुराना है। आज का समाज भले ही शिक्षित हो गया है लेकिन वह महिलाओं के बारे में पा चात्य एवं मध्ययुगीन सोच रखता है। जिसके कारण पुरूष–महिलाओं के जन्म दर में काफी अंतर है, जो महिला सशक्तिकरण न हो पाने को इंगित करता है। इसके अलावा दहेज, जाति, धर्म, लिंग, नस्ल आदि के नाम पर अपमानजनक जीवन व्यतीत करना पड़ता है।

मुख्य शब्दः महिला सशक्तिकरण, नारीवाद, लैंगिक समानता, पितृसत्ता, महिला अधिकार, सामाजिक न्याय, स्त्री चेतना, महिला स्वतंत्रता, नारीवादी आंदोलन, सामाजिक परिवर्तन।

महिलाओं को समाज ने जो भी स्थान दिया है वह कभी भी उसके हित के लिए नहीं अपितु अपने किसी न किसी परोक्ष या अपरोक्ष स्वार्थ के लिए दिया और जब स्वार्थ सिद्ध हो गया तब उसे पुनः उसी स्थिति में रख दिया। आज देश में करीब 50 प्रतिशत की जनसंख्या वाली इन महिलाओं को जो सम्मान दिया गया वह उनकी जनसंख्या का कुछ प्रतिशत ही है। पुरूष वर्ग व समाज ने हमेशा से महिलाओं का खुलकर समर्थन नहीं किया, जिससे उन्हें समाज में अच्छा सम्मान व अधिकार नहीं मिल सका। महिलाओं को सशक्त व जागरूक बनाने में सभी देशों, विभिन्न संगठनों, राज्य सरकारों ने कई प्रयास किये। उसमें एक सार्थक प्रयास महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा भी किया जा रहा है जिससे महिलाओं का सर्वांगीण विकास करते हुए हर क्षेत्र में कई कार्यक्रम एवं योजनाओं का क्रियान्वयन किया ताकि महिलायें पूर्ण रूप से सशक्त होकर देश के विकास में अपनी भूमिका अदा कर सके। यह सर्वविदित है कि हमारे देश की जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा महिलाओं का है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को स्वीकार किया गया है, क्योंकि महिला एवं पुरूष विकास

की गाड़ी के दो पहिए हैं। महिलायें राष्ट्र के विकास में उतना ही महत्व रखती है जितना की पुरूश। अतः देश का विकास महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण के बगैर संभव नहीं हैं। वर्श 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1210569573 है। इसमें 623121843 पुरूष तथा 587447730 महिलाओं की है। वे महिलायें न केवल आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है बल्कि शेष आधी जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास में भी योगदान देती है। आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में महिलाओं का उल्लेखनीय योगदान रहा है। फिर भी आज इक्कीसवीं सदी में महिलायें पिछड़ी व उपेक्षित रहीं है। देश के विकास में महिलाओं की सहभगिता व समाज की उन्नति में महिलाओं के महत्व को स्वीकार करते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि–"जिस प्रकार एक पक्षी एक पंख के सहारे नहीं उड़ सकता, समाज तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक समाज की सभी गतिविधियों में महिलाओं को शामिल न किया जाए।" इसलिए महिला सशक्तिकरण एक ज्वलंत पहलू बनकर सामने आया है।

महिला सशक्तिकरण के लिए जरूरी है कि उन्हें अन्य स्वतंत्रता के साथ–साथ अवसर की स्वतंत्रता समान रूप से मिले और इस स्वतंत्रता की स्वीकृति सामाजिक मान्यताओं के रूप में हो। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी महिला के यह स्वतंत्रता दे दी जाए कि वह नौकरी कर सकती है तो इसके साथ यह भी जरूरी है कि उसके देर रात तक लौटने पर घर–परिवार और आस–पड़ोस के लोगों द्वारा गलत या अनर्गल टिप्पणी न की जाए, उसके चरित्र पर ऊँगली न उठाई जाये। यानी स्त्री को स ाक्त बनाने के लिए जो अवसर दिए जाते है उसकी सामाजिक स्वीकृति सहज रूप में ही और उसके काम की सामाजिक मान्यता मिलें। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक ऐसा नहीं हुआ है।

वास्तव में सामाजिक मान्यताओं, अवधारणाओं और क्रियात्मकता को भाक्ति के साथ जोड़कर देखेंगे तभी समझ पायेंगे कि स्त्रियों के बारे में मान्यताएँ क्यों नहीं बदल रही है? सशक्तिकरण का अर्थ है महिलायें निर्णय लें, उसे अमल में लायें और सामाजिक स्वीकृति दिलायें। समाज के विभिन्न वर्गों तक निर्णय को पहुँचाये। स्त्री के लिए यह भी जरूरी है कि जीवन पर आपका नियंत्रण हों। वह पिता, पति या बेटे के नियंत्रण में ही नहीं है, यह भाव होना चाहिए। किसी भी काम में उसकी भागीदारी बराबर की हो। कोई घर, परिवार जिन चीजों से बनता है जिन विचारों पर खड़ा होता है, उस पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। यहीं नियंत्रण समुदाय पर भी लागू होना चाहिए।

भारतीय परम्परा में जैविक या लैंगिक अंतर के आधार पर स्त्री और पुरूष को अलग किया गया है। जीवन सामाजिक तौर–तरीके और कार्य–व्यापार के अलग–अलग मापदण्ड तय किए है लेकिन सामाजिक परम्परा का निर्माण तो पुरूष वर्ग ने ही किया है। पुरूषों को जो उचित लगा अपने लिए जो भी तर्कसंगत, सुविधाजनक लगा, उसके हिसाब से नियम निर्धारित कर लिए। जरूरत इस बात की थी कि भाक्ति के रूप में व्यावहारिक रूप में लागू करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही तत्व स्त्री सशक्तिकरण में बड़ी बाधा है। पुरूश वर्ग ने स्त्री की

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

जो आदर्शवादी छवि निर्मित की है उसे तोड़ना होगा, क्योंकि यह स्त्रियों पर लादा गया है। इस आदर्श के पीछे ही भेदभाव और उत्पीड़न छिपा है जिसे सामाजिक मूल्य कहा जाता है और उसी मूल्य के भीतर लैंगिक भेदभाव है। विकास का अर्थ स्त्री–पुरूश के लिए अलग–अलग अर्थों में भी न्यायसंगत होगा। उसे अलग–अलग अर्थो में ही स्वीकृति मिलनी चाहिए तभी सशक्तिकरण होगा। संसद या पंचायत को उदाहरण के तौर पर लिया जा सकता है। आज भी कहा जाता है कि स्त्रियाँ स्वयं निर्णय नहीं लेती, बल्कि उसके पिता, पति और पुत्र लेते है।

महिला और उसके अधिकारों की मांग नारीवाद संज्ञा से सारी दुनिया को चौंका रहा है। महिला की आजादी के आंदोलन को नाना प्रकार की प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय संदर्भ में नारीवाद को आयतित विचारधारा के रूप में देखा जाता है। यह भी माना जाता है कि नारीवाद अराजक मानसिकता का प्रतिनिधित्व करता है। नारीवाद पारम्परिक समाज व्यवस्था में परिवर्तन अवश्य चाहता है और इस बदलाव को टूटना तो नहीं कहा जा सकता परिवार तो महिला की सबसे मजबूत जमीन है। यदि इस जमीन पर खड़े होकर वह स्थितियों में परिवर्तन चाहती है साथ ही अपनी दूसरी तमाम बड़ी जिम्मेदारियों को स्वीकार भी करती है तो यह कहीं से गलत नहीं कहा जाना चाहिए। समाज में नारीवादी बौद्धिकता की भी एक विशिष्ट भूमिका है। आज महिला ने सदियों की खामोशी तोडी है। उसकी नियति में बदलाव आया है। उसका व्यक्तित्व जीवन का उद्देश्य दर्शन उसका मन–मिजाज सभी बदलाव की स्थिति में है। इस नयी भूमिका में उसका अपना वजूद महसूस किया जा सकता है।

सीमोनद बोउवा ने लिखा है –''मैं ब्रम्हांड में भटकने और तैरने की अपेक्षा सीमित किन्तु ठोस पकड़ को महत्व देती हूँ। नारीवाद स्वीकारता है कि प्रत्येक स्त्री को व्यवस्था से न्याय मिलना चाहिए। अभिव्यक्ति, जीवन और चुनाव की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। स्त्री नागरिक के प्रति राष्ट्र की जिम्मेदारी भी यही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महिलाओं की यही मांग रही है।'' नारीवाद का अर्थ और परिभाषा समय तथा परिवेश के अनुसार बदलता रहता है। जहाँ पहले सामाजिक कुरीतियों का विरोध इनका प्रमुख उद्देश्य था वहाँ आज यह मुख्य मुद्दा हैं कि कैसे लिंग के आधार पर पुरूष आधिपत्य को चुनौती दी जाय। भारतीय परिवेश में पुरुष और महिलाओं के समाँहिक प्रयास से सामाजिक परिवर्तन लाना नारीवाद का मुख्य उद्देश्य है। **कमला भसीन और निघत सईद खान** ने नारीवाद पुस्तक में इसकी परिभाषा देते हुए लिखा है–''समाज में काम के स्थान और परिवार में होने वाले स्त्रियों के दमन और शोषण के प्रति चेतना तथा स्त्रियों और पुरूषों के समान्वित प्रयास द्वारा इन परिस्थितियों के बदलने की दिशा में जागरूक सक्रियता ही हमारा नारीवाद है। जिससे महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकता है।

महिला सशक्तिकरण के वर्तमान स्परूप में जब तक गुड़िया के भविष्य का फैसला पुरुष पंचायते करती रहेंगी अथवा नारीवादी आंदोलनों की दृष्टि स्त्री–पुरूष असमानता से आगे

नहीं बढ़ पायेगी तब तक महिला सही अर्थो में सशक्त नहीं हो सकती। विचारणीय प्रश्न यह है कि भारतीय परम्परा में जहाँ नारी शक्ति की पुंजी रही है वह कैसे कब और क्यों सशक्त हो गयी? भारतीय अर्धनारीश्वर का स्वरूप तो महिला सशक्तिकरण का ही नहीं लैंगिक सशक्तिकरण का भी आदर्श प्रारूप है। आखिर पुरुष समाज महिला के निजी जीवन, मूल्य बोध, विचारधारा, उसके देह, उसकी सम्पत्ति सब पर अपना आधिपत्य क्यों रखना चाहता है? और यदि इस आधिपत्य से महिला मुक्त होना चाहती है तो क्या उसे स्त्री की हठधर्मिता कही जायेगी? इसलिए यह आवश्यक है कि महिला अपने नारीवादी विचारों को कस कर थामे रहे, क्योंकि इसके अलावा उसके पास दूसरा विकल्प नहीं है।

सत्तर के दशक में महिलाओं ने यह सिद्ध करने के लिए संघर्ष किया कि महिलायें भी पुरूषों की तरह हो सकती है तथा उनके साथ कन्धे से कन्धा मिलकार चल सकती है। यहाँ सवाल यह उठता है कि महिला को 'महिला' रहने से क्यों संकोच होता है। अस्सी का दशक महिलाओं के लिए अवरोध का समय था क्योंकि इस समय महिलाओं को सफलता द्वारा प्रतिष्ठा हासिल करने की सांस्कृतिक अनुमति से वंचित रखा गया था। तथा नब्बे का दशक महिलाओं के लिए 'अभिव्यक्ति' का समय था। समाज में तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों–बाजार, राजनीति और अर्थव्यवस्था में धीरे–धीरे यह मान्यता स्थापित होने लगी कि महिलाओं की उपस्थिति को अनदेखा नहीं किया जा सकता।

इक्कीसवीं सदी के शुरूआत में महिला सशक्ति आंदोलन खुद को एक नये मोड़ पर खड़ा देख रहा है। पैश्वीकरण और उदारीकरण ने महिला–पुरुष संबंधों के समीकरण पर विशेष रूप से प्रभाव डाला है। अब महिलायें अपनी स्थिति, समस्या और अधिकार को लेकर समाज में अधिक मुखरित हुई है। विख्यात चिंतक नाओगी वुल्फ ने अपनी पुस्तक 'फायर विदद न्यू फीमेल पावर एंड हाउ इट बिल चेंज द ट्वेन्टी फर्स्ट संेचुरी' में इसे स्पष्ट करते हुए लिखा है कि ये भविष्य के नारीवादी में स्त्री की एक ऐसी छवि देखती है जिसमें अच्छाई और बुराई दोंनों का समावेश होगा क्योंकि वहीं छवि व्यावहारिक भी होगी और विश्वसनीय भी महिलाओं के विकास या सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं के सम्पूर्ण विकास अर्थात सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, मानसिक व सांस्कृतिक विकास आदि से है। निश्चय ही इस क्षेत्र में शासन की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी, समन्वित और उद्देश्यपरक क्रियान्वयन में महिला एवं बाल विकास विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक रही है। इस विभाग ने केवल योजनाओं के लिए आर्थिक व्यय में वृद्धि तक स्वयं को सीमित नहीं रखा, बल्कि नीति और क्रियान्वयन के बीच की दूरी को कम करने का भी गंभीर प्रयास किया। महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुँचाने, लक्षित वर्ग की वास्तविक आवश्यकताओं को पहचानने तथा योजनाओं के लाभार्थियों तक समयबद्ध सहायता सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया।

इस विभाग के प्रयासों का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संबंधी स्थिति में गुणात्मक सुधार लाना रहा है। विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों, पोषण योजनाओं, शिक्षा एवं स्वास्थ्य से जुड़ी पहलों तथा आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने वाली गतिविधियों के माध्यम से महिलाओं की निर्भरता की स्थिति को कम कर उन्हें निर्णय–निर्माण की प्रक्रिया में सहभागी बनाने का प्रयास किया गया। इसके परिणामस्वरूप महिलाओं में आत्मविश्वास, जागरूकता और सामाजिक सहभागिता में वृद्धि देखने को मिली है, जो समकालीन समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन का संकेत है।

वर्तमान समय में यह स्पष्ट हो गया है कि महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाने के लिए केवल योजनाओं का अस्तित्व पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक समग्र, दीर्घकालिक और व्यवहारिक रणनीति की आवश्यकता है। ऐसी रणनीति में महिलाओं की पूर्ण एवं सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित हो, जिससे वे केवल योजनाओं की लाभार्थी न रहकर विकास की भागीदार और परिवर्तन की वाहक शक्ति बन सकें। जब महिलाएँ संगठित होकर अपनी क्षमताओं, अधिकारों और उत्तरदायित्वों के प्रति सजग होंगी, तभी वे एक सशक्त, संगठित और प्रभावशाली शक्ति के रूप में राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकेंगी। इस दृष्टि से महिला एवं बाल विकास विभाग की भूमिका भविष्य में और अधिक व्यापक तथा सुदृढ़ होने की आवश्यकता है।

महिला सशक्तिकरण

महिलाओं में सशक्तिकरण का तात्पर्य है शिक्षा और स्वंत्रता को समाहित करते हुए सामाजिक सेवाओं के समान अवसर प्रदान करना, राजनैतिक और आर्थिक नीति निर्धारण में उन्हें भागीदार व राज्य के नीति निर्देशक तत्व, समान काम के लिए समान वेतन, कानून के तहत सुरक्षा, स्वावलम्बन का अधिकार आदि मुद्दों को समाहित किया गया है। आज के परिवेश में इस बात पर अधिक बल देना है कि महिलाओं में उनकी स्वयं की ताकत के बारे में चेतना जागृत की जाए जिससे केवल महिलाओं का कल्याण नहीं बल्कि पूरे समाज के विकास की प्रवर्तक बन सके। महिलायें जब तक अपनी शक्ति, क्षमता, ज्ञान, आत्मविश्वास को जागृत नहीं करेंगी तब तक कोई बाध्य कारक उन्हें सशक्त नहीं कर सकता। महिला सशक्तिकरण–''महिलाओं को पुरुषों के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में उनके परिवार, समुदाय, समाज, एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वायत्ता से है। जिस समाज में नारी का स्थान सम्मानजनक होता है, वह उतना ही प्रगतिशील और विकसित होता है।

परिवार और समाज के निर्माण में नारी का. स्थान महत्वपूर्ण है। जब नारी सशक्त और विकसित होती है तब राष्ट्र भी मजबूत होता है। इस प्रकार राष्ट्र निर्माण में भी नारी केन्द्रीय भूमिका निभाती है। माता के रूप में नारी प्रथम गुरू होती है। जार्ज हर्बर्ट के अनुसार ''एक अच्छी माता सौ शिक्षकों के बराबर होती है, इसलिए उसका हर हालत में सम्मान करना चाहिए। भारतीय समाज के वैदिक काल में नारी का स्थान बहुत सम्मानजनक था। कालांतर में नारी की स्थिति में हास हुआ और मध्यकाल आते–आते यह हास अपने चरम पर जा

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

पहुंचा। चूंकि अंग्रेजों का मकसद भारत पर शासन करना था, न कि समाज सुधार करना, इसलिए ब्रिटिशकाल में भी भारतीय नारी की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ।
हाँ, कुछ छोटी–मोटी पहलें अवश्य शुरू हुई। आजादी के बाद ऐसा सोचा गया था कि भारतीय नारी एक नई हवा में सांस लेगी तथा शोषण और उत्पीड़न से मुक्त होगी, किंतु उल्टा ही। आजादी के बाद कानूनी स्तर पर नारी को सशक्त बनाने के प्रयास तो खूब हुए, किन्तु सामाजिक स्तर पर जो बदलाव आना चाहिए था, वह परिलक्षित नहीं हुआ. जिसका मुख्य कारण रहा, हमारी पुरुष प्रधान मानसिकता, जिसे हम बदल नहीं पाए और नारी के प्रति हमारा रवैया दोयम दर्जे का रहा। यही कारण है कि वैदिक काल में जो नारी शीर्ष पर थी, आज उसके सशक्तिकरण की आवश्यकता महसूस की गई। इसलिए एक कथन हमेशा दोहराया जाता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता सूत्र वाक्य द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि जहाँ नारी पूजनीय होती है वहाँ देवता निवास करते है, पूजा का अर्थ सम्मान से है तात्पर्य यह है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वही सुख, समृद्धि व शांति का वास होता है।
नारी को सम्मान देना हमारी संस्कृति एवं सभ्यता की प्राचीन परम्परा रही है, सृष्टि के निर्माण से ही नारी सम्मानीय समझी जाती रही है हमारे धर्म ग्रन्थ में नारी को देवी कहा गया है और उन्हें जहाँ एक ओर लक्ष्मी, दुर्गा, काली, पार्वती के रूप में नारी को देवतुल्य बताया जाता है वही उसे अबला बताकर परम्परा एवं रूढ़ियों की बेड़ी में भी जकड़ा जाता रहा है। हालांकि यह सच है कि स्वतंत्रता के बाद अपनाए गए विभिन्न कार्यक्रमों और नारी अधिकारों के संरक्षण के लिए किए गये प्रयासों के कारण महिलाओं की स्थिति में गुनात्मक सुधार हुआ है। और इसी के कारण आज देश की आर्थिक गतिविधियां में नारी की सहभागिता दर में वृद्धि भी दिखाई दे रही है। किन्तु लैंगिक आधार पर विषमता स्पष्ट दिखाई देती है। जब तक राजनीति में नारी की भागीदारी नहीं बढ़ेगी, तब तक सही अर्थो में उसका सशक्तिकरण नहीं हो सकेगा। हालांकि यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित रहेगा कि केवल अधिकतर राजनीतिक अधिकार महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं ला सकता। राजनीतिक अधिकार से ज्यादा जरूरी है सामाजिक स्तर पर महिलाओं के प्रति सोच में बदलाव, जब तक यह बदलाव नहीं आता, महिला मुक्ति एवं सशक्तिकरण के प्रयास फलीभूत नहीं होंगे।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. अग्रवाल, बीना (1994) दक्षिण एशिया में लैंगिकता और भूमि अधिकार. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, पृ. 15
2. शर्मा, रामकुमार (2012) भारतीय समाज में नारीवाद. नई दिल्लीः राजकमल प्रकाशन, पृ. 45
3. वही पृ. 56
4. सिंह, मीना (2015) महिला सशक्तिकरण सिद्धांत और व्यवहार. नई दिल्ली रावत पब्लिकेशंस, पृ. 71

5. वही पृ. 78
6. वर्मा, कुसुम (2010) नारीवादी आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन. इलाहाबाद लोकभारती प्रकाशन, पृ. 102
7. सरकार, तन्मय (2001) भारतीय नारीवाद विचार और विमर्श. नई दिल्ली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पृ. 55
8. वही पृ. 56
9. वही पृ. 58
10. भारत सरकार (2001) राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति. नई दिल्ली महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, पृ. 7